राजस्थान सरकार
गृह विभाग
(ग्रुप–5)

क्रमांक एफ 9(23) गृह–5/2005/पार्ट–2 दिनांकः 11 अगस्त 2006

–: परिपत्र :–

विषय : **सूचना क अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन।**

हालाकि नये अधिनियम को प्रचलित हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि हो गयी है एवं इससे व्यवहारतः आम जनता के लिए वांछित सूचना दिये जाने के अधिकार की व्यवस्था जो 12.10.2005 से लागू हुई है की अवधि भी अब लगभग 10 माह हो गयी है। परन्तु अब भी सूचना अधिकारियों एवं आम नागरिकों में कुछ भ्रान्तियॉ बनी हुई है। आम नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसे सूचना के लिए कहॉ प्रार्थना पत्र देना चाहिए, फीस किस प्रकार एवं कहॉ जमा होगी तथा किस प्रकार सूचना मिल सकती है। कुछ दृष्टान्त ऐसे आये है जिनमें आवेदक ने अपना प्रार्थना पत्र बहुत बडी प्रश्नावली के रूप में पेश किया है एवं उस के उत्तर की अपेक्षा की है, जबकि लोक सूचना अधिकारी वैधानिक व्यवस्था को देखकर यह मंतव्य रखता है कि सूचना वही देय है जो अधिनियम में परिभाषित है। इसी प्रकार कुछ दृष्टान्त ऐसे भी आये है जिनमें आवेदक ने अपनी सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए बड़े फार्मेट बनाकर अपेक्षा की है कि सूचना संकलित करके उसे उस फार्मेट में उपलब्ध करायी जायें, जबकि विभाग में सूचना उससे भिन्न रूप में संधारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सूचना वांछित फार्मेट में नहीं संधारित होने के कारण देय है या नही। कुछ स्वयं सेवी संस्थाऐं भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दिलवाने में आमजन की सहायतार्थ आगे आयी है। उनके प्रयास कुछ हद तक नागरिकों के लिए मद्दगार भी साबित हुए है किन्तु उनके द्वारा कियें प्रयासों को लेकर समाचार पत्रों में आये दिन प्रकाशित समाचारों से कुछ भ्रान्तियॉ भी पैदा हुई है। कई आवेदक वांछित जानकारी के अभाव में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के यहां आवेदन करने के बजाय संबधित क्षेत्रीय कार्यालय में ही आवेदन कर रहे है। उदाहरणार्थ थाने या तहसील में आवेदन करने एवं वहां के प्रभारी अधिकारी को अधिनियम का ज्ञान नहीं

होने के भी कुछ समाचार प्रकाशित हुए है। जहां यह वांछित है कि कार्यालय प्रभारी के स्तर पर वैधानिक व्यवस्था की जानकारी करायी जाये वहीं यह भी वांछित है कि आवेदक के कार्यालय में पहुचत ही उसे सूचना पट्‌ट से यह जानकारी मिल जावे कि उसे आवेदन कहां करना है।

हालांकि इस विभाग के पत्र दिनांक 03.10.2005 के द्वारा लोक प्राधिकरणों, राज्य लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों, अपील अधिकारियों आदि संबधी व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिये गये थे एवं राज्य लोक सूचना आयोग का गठन भी अप्रेल, 2006 में किया जा चुका है, परन्तु अभी तक अधिकांश लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित सूचनाऐं प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

आवेदक को मार्गदर्शन दिये जाने एवं सूचना दिये जाने के प्रति उत्साह दिखाने के अभाव में आवेदक द्वारा ऐसी सूचना के लिए भी आवेदन दिये जाने लगे है जिसे उपलब्ध कराना विधिक या व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। ऐसे कुछ प्रकरण भी संज्ञान में आये हे जिनमें लोक सूचना अधिकारी, सहयोग कर्ता अधिकारी को ही सूचना प्रदान करने का दायित्व निर्वहन का निर्देश दे देते हैं। अधिनियम का मन्तव्य यह है कि आम जनता को विधि व्यवस्था के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व निर्वहन लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जावे। बल्कि यह भी सोच रखी गयी है कि यथा सम्भव सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली सूचनाओं को स्वंयमेंव लोक सूचित किया जावे।

धारा 4 के अधीन निर्दिष्ठ सूचनाओं के प्रचलित किये जाने के अभाव में एवं विभिन्न लोक प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रदर्शित नहीं होने के कारण जहा एक तरफ आवेदकों को कठिनाई महसूस हो रही है वही दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अज्ञान प्रदर्शन करने के कारण अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है।

लोक सूचना अधिकारियों/ सहायक लोक सूचना अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु जिज्ञासा एवं समाधान उपलब्ध करा दिये गये है, तथा विधिक व्यवस्था के अनुसार यूजर गाईड भी तैयार

करा ली गयी है, जिसे निकट भविष्य में प्रकाशित कराया जाना है। इसमें आम नागरिकों के लिए अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। परन्तु इस व्यवस्था का आम नागरिकों को लाभ तभी मिलेगा जब वह इसका अध्ययन करने की स्थिति में होगा। अतः आम नागरिक की सामान्य कठिनाई के निराकरण कि लिए अपेक्षित है कि :–

क) सभी लोक प्राधिकरणों के मुख्यालयों पर संलग्न प्रपत्र – 1 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबधी जानकारी दी जाये।

ख) सभी लोक प्राधिकरणों के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न प्रपत्र – 2 के अनुसार सूचना पट्ट लगाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबधी जानकारी दी जाये।

इस प्रकार के सूचना पट्ट लगाने के लिए कार्यकारी व्यवस्था अलग से निर्धारित की जा रही है। समस्त लोक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वें प्रपत्र –1 एवं 2 का आलेख तैयार करा लें।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये यह अपेक्षित है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी के स्तर पर आवेदन पत्रों के संबंध मं युक्ति संगत ढंग से इन्द्राज किया जाये। इस दृष्टि से कुछ पंजिकाओं का संधारण किया जाना अत्यावश्यक हैं। विभिन्न स्तरों पर जिन पंजिकाओं का संधारण किया जाना उपयोगी होगा उनके लिये प्रारूप तैयार कराकर संलग्न किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रारूप के अनुसार पंजिकाओं का नियमित संधारण किया जाये।

अधिनियम के जनोपयोगी महत्व को देखते हुए यह भी अपेक्षित है कि सूचना क अधिकारी अधिनियम के अधीन सूचना संबधी कुछ बिन्दुओं – जैसे कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने प्रकरणों में लापरवाही बरतने संबधी कार्यवाही हुई आदि जिनके बारे में समीक्षा की दृष्टि से समय समय पर जानकारी चाही जा सकती है, बाबत जानकारी राज्य स्तर पर भी संधारित की जाये। इस दृष्टि से यह अपेक्षित है कि सूचना के अधिकार के लिये सृजित वेबसाइट www.rajasthan.gov.in/rti-info पर संलग्न प्रपत्र – 3 के अनुसार सूचनाऐं नियमित संधारित किये जाने की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इस वेबसाइट पर सीधे इन्द्राज किये जाने के लिए यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड दे दिये गये है। जो उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अपेक्षित है कि लोक प्राधिकरण द्वारा इसमें सूचना इन्द्राज करने के लिये पुख्ता व्यवस्था कर ली जावे। वेबसाइट पर इन्द्राज की गयी सूचना मं अनाधिकृत तौर

पर परिवर्तन नहीं किया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि लोक प्राधिकरण स्तर पर सूचना का इन्द्राज करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा पासवर्ड परिवर्तित कर, अपनी सुविधा के अनुसार दिनांक 20.08.2006 तक नया पासवर्ड निर्धारित कर लिया जावे। पासवर्ड परिवर्तित करने संबंधी मार्गदर्शन परिशिष्ठ 'क' संलग्न है।

पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ मं इस बाबत व्यवस्थाओं में व्यवहारिक दृष्टि से भिन्नता रखी गयी है। जिले की समस्त पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में इन्द्राज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कराया जावेगा। इस बाबत प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे तत्काल सूचना के इन्द्राज पुख्ता व्यवस्था कर लेवे एवं उपरोक्तानुसार पासवर्ड भी परिवर्तित कर लेवें ताकि वेबसाइट पर इन्द्राज को अनाधिकृत रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सके।

चूंकि अधिनियम द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसे लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने एवं इसी प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने पर भी उसे प्राप्त कर अपील अधिकारी को प्रेषित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित है। अतः यह आवश्यक है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र –4 के अनुसार पंजिका संधारित की जावे।

अधिनियम के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिये यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा न केवल सूचना प्रदान की व्यवस्था की जाती है बल्कि आवेदक को युक्ति संगत मार्गदर्शन भी दिया जाता है। यह भी अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदन पत्रों, उन पर की गई कार्यवाही, जमा फीस आदि का सुस्पष्ट ब्यौरा भी संधारित किया जाता है। इसके लिये प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर निम्न पंजिकाऐं संधारित की जावें :–

1. आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण पंजिका (संलग्न प्रपत्र – 5)।
2. फीस आदि संबधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र –6)।
3. आवेदन निस्तरण करने संबधी पंजिका (संलग्न प्रपत्र – 7)।
4. सूचना आयोग के निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन संबधी पंजिका

(संलग्न प्रपत्र –8)।

इसी प्रकार अपील अधिकारी के स्तर पर भी अपील संबधी संकलित सूचना का संधारण अपेक्षित है। अतः प्रत्येक अपील अधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र – 9 पंजिका का संधारण किया जावे।

आज्ञा से,

(वी. एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों की समीक्षा कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. समस्त अपील अधिकारी एवं समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान (समस्त)
4. विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री / गृह राज्य मंत्री
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव (समन्वय)

परिशिष्ठ – 'क'

'लोक सूचना अधिकारियों के लिए, सूचना अधिकार वेब पोर्टल में पासवर्ड की व्यवस्था'

राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 'सूचना के अधिकार' के लिए एक वेब–पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को, आधुनिक सूचना तंत्र प्रणाली के माध्यम से सूचना के अधिकार का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना है।

इस वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को विभाग–वार, संबंधित विभाग के लोक–सूचना–अधिकारी को प्रेषित करने की व्यवस्था है।

इस व्यवस्था में, प्रत्येक लोक–सूचना–अधिकारी को एक उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID) एवं पासवर्ड आवंटित किया गया है जिससे वह अपने विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों की जानकारी एवं उन पर हुई कार्यवाही का मॉनिटरिंग कर सकें।

'सूचना का अधिकार' का वेब पोर्टल आरंभ होने के उपरांत, प्रथम बार, यह उपयोगकर्ता पहचान नाम (User ID Name) एवं पासवर्ड प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिशः सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात लोक–सूचना अधिकारी इस पासवर्ड को अपनी सुविधानुसार समय–समय पर परिवर्तित कर सकते है। किन्तु यह कार्य सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। इस विषय में संबंधित अधिकारी को पासवर्ड का रखरखाव (Maintenance) करना एवं इसे सुरक्षित (Safe & Secure) रखना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना अनिवार्य होंगा।

पासवर्ड परिवर्तन की विधि निम्नानुसार है :–

1. अपना उपयोगकर्ता – पहचान –नाम User ID Name प्रविष्ठ करें।
2. अपना वर्तमान पासवर्ड प्रविष्ठ करें।
3. पासवर्ड परिवर्तन के लिये बटन का चयन करें।
4. आपक समक्ष निम्न स्क्रीन उपलब्ध होगी।

   Enter Old Password (पुराना पासवर्ड प्रविष्ठ करें) ....

   Enter New Password (नया पासवर्ड प्रविष्ठ करें) ....

   Re-enter New Password (नया पासवर्ड पुनः प्रविष्ठ करें) ....

   OK Cancel

5. उपरोक्त प्रदर्शित स्क्रीन पर चाही गई सूचना प्रविष्ट कर आप अपना पासवर्ड परिवर्तित कर सकते है।

6. इस विधि के अनुसार परिवर्तित पासवर्ड का सावधानी पूर्वक उपयोग, सुरक्षा एवं संधारण प्रत्येक लोक–सूचना–अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, क्योंकि प्राप्त आवेदनों आदि की सूचना इस पासवर्ड के अभाव में नही हो सकती है। कृपया ध्यान रखें कि इस पासवर्ड की सूचना किसी अन्य को होने पर, दुरूपयोग होने की संभावना है, जिसके लिए नामित लोक–सूचना–अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे। अतः इस पासवर्ड की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक हैं।

प्रपत्र 1

आपकी सूचना के अधिकार के लिए

1.	लोक प्राधिकरण का नाम	–	
	क. पद का नाम	–	
	ख. पता	–	
	ग. दूरभाष	–	
2.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	–	
	क. पद का नाम	–	
	ख. पता	–	
	ग. दूरभाष	–	
3.	आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ	–	रु0 10/–
4.	अभिलेखों के निरीक्षण के लिए	–	प्रथम घण्टे– कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5/– रु0
5.	प्रतिलिपि (ए–4 या ए–3 आकार में)	–	रु0 2/– प्रति पृष्ठ
6.	प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ में)	–	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
7.	सैम्पल या मॉडल के लिए	–	वास्तविक लागत कीमत
8.	डिस्क या फ्लोपी	–	50/– प्रति फ्लोपी या डिस्क
9.	मुद्रित सूचना के लिए	–	नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए रु0 2/–

** शुल्क राशि नकद/बैक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।

विज्ञापन के लिए

प्रपत्र 2

आपकी सूचना के अधिकार के लिए

1.	लोक प्राधिकरण का नाम	–	
	क. पद का नाम	–	
	ख. पता	–	
	ग. दूरभाष	–	
2.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	–	
	क. पद का नाम	–	
	ख. पता	–	
	ग. दूरभाष	–	
3.	लोक सूचना अधिकारी का नाम –		
	क. पद का नाम	–	
	ख. पता	–	
	ग. दूरभाष	–	
4.	आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ	–	रु0 10/–
5.	अभिलेखों के निरीक्षण के लिए	–	प्रथम घण्टे– कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5/– रु0
6.	प्रतिलिपि (ए–4 या ए–3 आकार में)	–	रु0 2/– प्रति पृष्ठ
7.	प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ में)	–	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
8.	सैम्पल या मॉडल के लिए	–	वास्तविक लागत कीमत
9.	डिस्क या फ्लोपी	–	रु0 50/– प्रति फ्लोपी या डिस्क
10.	मुद्रित सूचना के लिए	–	नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए रु0 2/–

** शुल्क राशि नकद/बैक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।

विज्ञापन के लिए

प्रपत्र 3

वेबसाईट पर सूचना हेतु

माह .... की स्थिति

क्रं. सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की स्थिति								
		गत माह के अन्त में लम्बित	माह में प्राप्त आवेदन				माह में निस्तारित आवेदन			माह के अन्त में लम्बित आवेदन
			लो. सू. अ. के यहां से सीधे प्राप्त	स. लो. सू. अधि. से प्राप्त	अन्य लो. सू. अ. से प्राप्त	कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	अन्य लो. प्रा. को संदर्भित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अपील अधिकारी के यहां दर्ज अपीलों की स्थिति					लो0 सू0 अधि0 को प्रताड़ना /दण्ड	
गत माह के अन्त में लम्बित	नई दर्ज	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित	प्रताड़ना	दण्ड
12	13	14	15	16	17	18

Proforma - 4

Register of Applications Received and Forwarded by Assistant Public information Officer (APIO)

Name of Public Authority :

Name of Assistant Public Information Officer :

Designation :

S. No.	Name & Address of the Applicant	Date of Application	Applicatin for Information		Application for first appeal		Application for Second appeal		Date of intimation to the applicant	communication from PIO/AO/IO, if any
			Name & Address of the PIO to whom towarded	Date of towarding of the application	Name & Address of the first applicate office AO to whom towarded	Date of forwarding the appeal	Name & Address of the Information Commission	Date of forwarding the appeal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Proforma - 5

Register of Requests for Information to & Disposal of Requests by Public information Officer (PIO)

Name of Public Authority :

Name of Public Information Officer :

Designation :

S. No.	Request Application No. & Date	Name of Applicant & Address	Whether Applied to Asst. PIO or PIO	Date of Receipt by PIO	Category of Applicant B.P.L./ other	Brief Description of request for information	Involving Third party information or not	Involving Section 24 approval of IC or not	Date application fee paid	Amount of Application fee paid	Date of intimation on furher fee / cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date of further fee/ cost paid	Amount of further fee/cost paid	Last date of giving information as per time limit	Informantion provided details				If rejected details		Whether appeal made against the decision	Any other information
			Date of information provided	Whether full information provided	Whether partial information provided	Whether third party information provided	Date of rejection	Section under which inforamtion dented		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Proforma - 6

Register of Costs, Fees & Charges Collected **

Name of Public Authority :

Name of Assistant Public Information Officer :

Designation :

S. No.	Application No. & Date	Name of Applicant & Address	Date of Receipt of Application	Cost section -4 (4)	Fee sction 6(1)	Fee Sction 7 (1)	Fee Section 7 (5)	other charges (specify)	Total Collection
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

** Total of Collections under section 4 - cost of the medium or print of the materials for dissemination, Section 6(1)- initial application fee, Section 7(1)- prescribed fee for photo copies, samples, inspection or records etc., Section 7(5)- further fee representing the cost of providing the information in printed or electronic format.

Proforma - 7

Register of Rejection of Information Requests by Public Information Officer (PIO)**

Name of Public Authority :

Name of Assistant Public Information Officer :

Designation :

S. No.	Application No. & Date	Name of Applicant & Address	Date of Receipt of Application	Date of Rejection	Reason for Rejection ection 8										Reason for Rejection other sections			
					8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	8 (1) (a)	9	11	24	Other reasons (Specify)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Proforma - 8

Register of Implementation of Decision/ suggestions of Information Commission *

Name of Public Authority :

S. No.	Reference No. from Information Commission	Date of Reference	Details of Decision	Action taken to Implement Decision	Details of Compensation to be paid by Publci Authority	Details of Comensation Paid	Details of Penalties Imposed
1	2	3	4	5	6	7	8

Details of Penalties Collected	Details of Disciplinary Action Recommended by Information	Details of Disciplinary Action taken	Suggestions of Informantion Commission	Details of Action taken to implement the Suggestions	Other Significant Action Taken	Any other Information
9	10	11	12	13	14	15

Proforma - 9

Register of First Appeals against Decision of Public Information Officer

Name of Public Authority :

Name of Appellate Authority :

Designation :

S. No.	Appeal No. & Date	Name of Appellant & Address	Category of Applicant BPL Other	Date of Receipt of Appeal by Appellate Officer	Name & Designation of PIO aganist whose decision Appeal filed	PIO's decision No	Dete of Decision by PIO
1	2	3	4	5	6	7	8

Section of RTU Act Under which Access to Information denide	Last Date of deciding Appeal as per time limit	Date of Decision by Appellate Authority	Whether Appeal Upheld	Whether Appeal Rejected	If Rejected Section under which Access to Informaio n denied	Whether Second Appeal has been preferred before Information Commission	Any other Information
9	10	11	12	13	14	15	16

** Section 7 (2), 7(3)(b), 8(1)(a)-8 1)(i), 8(3), 9, 10(2)(e), 11, 24 and other

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

विषय : सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके अशा. टीप संख्या एफ.9(6)गृह–5/99 दिनांक 13.02.2006 के संदर्भ में विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत हस्तपुस्तिका का प्रकाशन तथा धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील अधिकारी की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 उपधारा (2) के अन्तर्गत Users Guide तैयार कर इनका प्रकाशन कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जयपुर से संबंधित Users Guide मय सॉफ्ट कापियॉ सहित भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सी. एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,
गृह (ग्रुप–5) विभाग
अशा. टीप संख्या प.14(1)सानि./2001
जयपुर दिनांक 23 फरवरी 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. जयपुर

शासन उप सचिव